राजस्थान सरकार
समाज कल्याण विभाग

क्रमांक : एफ 14(1)( )मुबाअ/सकवि/03/ 38953 जयपुर, दिनांक : 18.8.04

आदेश

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 34 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राज्य सरकार, निम्नलिखित स्वैच्छिक संस्थाओं को उनके द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्रों के आधार पर जरूरतमंद बालक/बालिकाओं की देखरेख और संरक्षण के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ बाल कल्याण समिति द्वारा जांच लम्बित रहने के दौरान उन्हें अस्थाई तौर पर रखने एवं उक्त अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) तथा राजस्थान किशोर न्याय नियम, 2002 के नियम 28 के अनुसार व्यवस्था के लिए राज्य सरकार के आदेश प्रसारित होने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित संस्थाओं को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बालक गृह के रूप में योग्य संस्थान (फिट इन्स्टीट्यूशन) घोषित किया जाता है–

1. **अबोली सोसायटी,उदयपुर। (0 से 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों हेतु)**
2. **मानव चेतना सेवा संस्थान,उदयपुर।**
3. **ऋतु शारदा मंदिर फाउण्डेशन, जयपुर।**
4. **इकबाल चिल्ड्रन स्कूल समिति,बीकानेर।**
5. **महिला ग्रामीण विकास एवं तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान,डूंगरपुर।**
6. **वातसल्य सोसायटी, जयपुर।**
7. **सर्वोदय मा. बाल निकेतन, लवाण,दौसा।**

उपर्युक्त संस्थाओं को विभाग द्वारा किसी प्रकार का अनुदान उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।

विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक एफ14(1)/( )/मुबाअ/सकवि/03/ 38954-39063 दिनांक 18.8.04

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. महानिरीक्षक,आरक्षी विभाग,जयपुर।
2. महानिदेशक,कारागृह विभाग,जयपुर।
3. रजिस्ट्रार हाईकोर्ट,जोधपुर/जयपुर
4. संभागीय आयुक्त,............................
5. जिला कलक्टर,.............................
6. पुलिस अधीक्षक,.............................
7. मुख्य न्यायिक दण्डनायक.........................
8. अध्यक्ष,बाल कल्याण समिति.........................
9. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परि.समाज कल्याण अधिकारी,.....................................
10. जिला बालक अधिकारी,.................................
11. अधीक्षक,सम्प्रेक्षण गृह.....................................
12. व्यवस्थापक/अध्यक्ष/मंत्री...
13. आदेश पत्रावली

मुख्य बालक अधिकारी